संशोधित

कार्यालय,जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक,सवाईमाधोपुर

—:कार्यालय आदेश:—

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102/ प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III/सी.भ./2018 दिनांक 01..08.2020 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित प्रयोगशाला सहायक ग्रेड **(तृतीय वेतन श्रृंखला)** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार लेवल 00 में प्रोवेशनल ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिणार्थी) चयनोपरान्त नियुक्ति देने हेतु परीक्षा 20186 में अभिस्तावित किये गये एवं सूची में चयनित अभ्यथियों में से इस कार्यालय को आंवटित किये जाने के फलस्वरूप निम्नांनुसार विवरणांकित आशार्थियों को **प्रयोगशाला सहायक (तृतीय वेतन श्रृंखला)** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार लेवल 08 में प्रोवेशनल ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिणार्थी) के रूप में दो वर्ष की अवधि हेतु नियत मानदेय पर **दिनांक 08.08.2020 को परामर्श (काउंसिलिग) शिविर आयोजित** कर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार लेवल 08 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 18500/–(अक्षरे रूपये अठारह हजार पांच सौ) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनरी ट्रैनी) की अवधि मे राज्य बीमा सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नही होगी। किन्तु राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे:–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरन रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है । पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा ।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II /95 दिनांक 08.04. 2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से वाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य एवं मान्य पाये जाने के अध्यधीन नियुक्ति दी जा रही है। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 50/– रू. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से वाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैद्य व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने संबंधी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा । ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी ।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संस्था प्रधान आवदेन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें । यदि विसंगति हो तो कार्यग्रहण नहीं कराया जावे तथा इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे । तथा अभ्यर्थियों से यह शपथ पत्र लिया जावे की उनके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही है । उनके त्रुटीपूर्ण , कूटरचित एवं जाली पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतन्त्र होगा ।
5. संबंधित संस्था प्रधान अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधीसूचना कमांक प.7(3) कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 01.10.2013 के अनुसार धूर्मपान एवं गुटका सेवन नही करने संबंधी वचनबंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
6. आवेदक द्वारा दहेज नही लिये जाने का स्व–घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
7. परिविक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्वि के लिए गणना योग्य नही माना जावेगा।
8. परिविक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि मे कलेण्डर वर्ष मे केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित विभाग के आदेश क्रमांक एफ–12(9) एफ.डी (रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगी।

P.T.O

9. आपके स्तर पर यह भी जांच आवश्यक रूप से कर ली जावे कि:–

(क) अन्य पिछडा वर्ग मे चयनित अभ्यार्थियो हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निधारित प्रपत्र मे जारी किया होना चाहिए एंव नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि अपवर्जन का नियम इन पर लागू नही होता है अर्थात् अनुसूची मे वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नही है। तथा उक्त तथ्य सक्ष अधिकारी द्वारा काटा हुआ नही होना चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी मे आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।

(ख) अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदको के मामले मे यदि पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नही है परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करे तो ही मान्य होगा। ऐसा नही करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दे। उपर्युक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरांत ही अन्य पिछडा वर्ग मे चयनित आवेदको को नियुक्ति प्रदान करने संबधी कार्यवाही करे। यदि कोई अभ्यार्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी मे आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवाये।

10. चयन बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई चयनित अभ्यार्थियो की सूची मे उल्लेखित अभ्यार्थियो के वर्ग इत्यादि मे यदि कोई अन्तर पाया जाता है तो ऐसे अभ्यार्थियो के विस्तृत आवेदन पत्र सूची के निदेशालय को भिजवाये। ताकि आयोग कार्यालय को भिजवाकर प्रकरण की आयोग स्तर पर जांच की जा सके।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 18.08.2020 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा, उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

सलग्नः–संशोधित आदेश–02

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्या
माध्यमिक,सवाई माधोपुर
दिनांक 08-8-2020

क्रमांकः–जिशिअ /मा/संस्था–1/प्र.शा.सहा।।।/2020/ 1497 –1507

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उप सचिव, कार्मिक(क–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
6. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा भरतपुर संभाग भरतपुर
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी..
9. संबधित संस्था प्रधान/कार्मिक....................................
10. रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्या
माध्यमिक,सवाई माधोपुर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक सवाई माधोपुर

आदेश संख्या–01

क्र0स0	रोल.न0	मेरिट न0	SEL_CAT	अभ्यार्थी	जन्म दिनांक	लिंग	ब्लॉक	चयन पदस्थापन स्थान	फोटो
1	467835	97	GEN	लक्षिता गुप्ता पुत्री भेरू लाल गुप्ता लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास आलनपुर समा	6/10/1999	FEMALE	सवाई माधोपुर	राबाउमावि मानटाउन	
2	468019	395	GEN	कुमारी सलोनी अग्रवाल पुत्री रमेश चन्द्र सिंहल भगवती अग्रेजी मीडियम स्कूल के पीछे गंगापुर सिटी समा	6/19/2000	FEMALE	बामनवास	राउमावि बामनवास पट्टीखुर्द	
3	184603	177	GEN	विश्वास कुमार शर्मा पुत्र संतोष कुमार शर्मा ग्रा. नापाकावास पो अमराबाद जिला दौसा	10/4/1998	MALE	बामनवास	राउमावि रिवाली	
4	421009	382	GEN	कमलेश कुमार शर्मा पुत्र हरिचरण शर्मा ग्राम बासडा नदी पो हथडोली जिला समा	11/24/1992	MALE	सवाई माधोपुर	राबाउमावि मानटाउन	
5	132295	431	GEN	ओमप्रकाश यादव पुत्र श्रवण लाल यादव ग्राम लालपुरा पो पचार कालवाडा रोड जयपुर	8/5/1997	MALE	चौथ का बरवाडा	राउमावि चौथ का बरवाडा	
6	392954	452	GEN	रिंकू शर्मा पुत्र बंजरग लाल शर्मा ग्राम माधोपुरा तह कोटखावदा जिला जयपुर	1/5/1996	MALE	सवाई माधोपुर	राबाउमावि सवाई माधोपुर	

P.T.O

7	106307	537	OBC	शैतान सिंह चौधरी पुत्र भोलू राम चौधरी जयभवानी पे निमेडा वाया बिन्दायका जिला जयपुर	11/22/2000	MALE	खण्डार	राउमावि चौथ का बरवाडा	
8	421462	861	ST	संदीप कुमार मीना पुत्र नेमीचंद मीना संदीप टेट हाउस अम्बेडकर कॉलोनी खेरदा जिला समा	5/18/1998	MALE	चौथ का बरवाडा	राउमावि फलौदी क्वारी	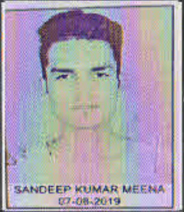
9	422270	1126	SC	योगवेन्द्र कुमार पुत्र रामचरण बैरवा ग्राम शंकरपुरा पो रोडावद तह खण्डार जिला समा	7/20/2000	MALE	खण्डार	राउमावि खण्डार	

4/4

08.8.2020

जिला शिक्षा अधिकारी मुख्या.
माध्यमिक सवाई माधोपुर